Vol 4 Issue 9 March 2015

ISSN No :2231-5063

International Multidisciplinary Research Journal

# Golden Research Thoughts

Chief Editor Dr.Tukaram Narayan Shinde

Publisher Mrs.Laxmi Ashok Yakkaldevi Associate Editor Dr.Rajani Dalvi

Honorary Mr.Ashok Yakkaldevi

### Welcome to GRT

### **RNI MAHMUL/2011/38595**

### **ISSN No.2231-5063**

Golden Research Thoughts Journal is a multidisciplinary research journal, published monthly in English, Hindi & Marathi Language. All research papers submitted to the journal will be double - blind peer reviewed referred by members of the editorial board. Readers will include investigator in universities, research institutes government and industry with research interest in the general subjects.

### International Advisory Board

Dept. of Mathematical Sciences,

University of South Carolina Aiken

Flávio de São Pedro Filho Federal University of Rondonia, Brazil

Kamani Perera Regional Center For Strategic Studies, Sri Lanka

Janaki Sinnasamy Librarian, University of Malaya

Romona Mihaila Spiru Haret University, Romania

Delia Serbescu Spiru Haret University, Bucharest, Romania

Anurag Misra DBS College, Kanpur

Titus PopPhD, Partium Christian University, Oradea, Romania

Abdullah Sabbagh Engineering Studies, Sydney

Mohammad Hailat

Ecaterina Patrascu Spiru Haret University, Bucharest

Loredana Bosca Spiru Haret University, Romania

Fabricio Moraes de Almeida Federal University of Rondonia, Brazil

George - Calin SERITAN Faculty of Philosophy and Socio-Political Sciences Al. I. Cuza University, Iasi

Hasan Baktir English Language and Literature Department, Kayseri

Ghayoor Abbas Chotana Dept of Chemistry, Lahore University of Management Sciences[PK]

Anna Maria Constantinovici AL. I. Cuza University, Romania

Ilie Pintea, Spiru Haret University, Romania

Xiaohua Yang PhD, USA

.....More

### Editorial Board

Pratap Vyamktrao Naikwade Iresh Swami ASP College Devrukh, Ratnagiri, MS India Ex - VC. Solapur University, Solapur

R. R. Patil Head Geology Department Solapur University,Solapur

Rama Bhosale Prin. and Jt. Director Higher Education, Panvel

Salve R. N. Department of Sociology, Shivaji University,Kolhapur

Govind P. Shinde Bharati Vidyapeeth School of Distance Education Center, Navi Mumbai

Chakane Sanjay Dnyaneshwar Arts, Science & Commerce College, Indapur, Pune

N.S. Dhaygude Ex. Prin. Dayanand College, Solapur

Narendra Kadu Jt. Director Higher Education, Pune

K. M. Bhandarkar Praful Patel College of Education, Gondia

Sonal Singh Vikram University, Ujjain

G. P. Patankar S. D. M. Degree College, Honavar, Karnataka Shaskiya Snatkottar Mahavidyalaya, Dhar

Maj. S. Bakhtiar Choudhary Director, Hyderabad AP India.

S.Parvathi Devi

Rajendra Shendge Director, B.C.U.D. Solapur University, Solapur

R. R. Yalikar Director Managment Institute, Solapur

Umesh Rajderkar Head Humanities & Social Science YCMOU,Nashik

S. R. Pandya Head Education Dept. Mumbai University, Mumbai

Alka Darshan Shrivastava

Rahul Shriram Sudke Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore

### S.KANNAN

Ph.D.-University of Allahabad

Awadhesh Kumar Shirotriya Secretary, Play India Play, Meerut(U.P.)

Sonal Singh, Vikram University, Ujjain Annamalai University, TN

Satish Kumar Kalhotra Maulana Azad National Urdu University

Address:-Ashok Yakkaldevi 258/34, Raviwar Peth, Solapur - 413 005 Maharashtra, India Cell : 9595 359 435, Ph No: 02172372010 Email: ayisrj@yahoo.in Website: www.aygrt.isrj.org

Golden Research Thoughts ISSN 2231-5063 Impact Factor : 3.4052(UIF) Volume-4 | Issue-9 | March-2015 Available online at www.aygrt.isrj.org



1



महिला जागरूकता एवं सामाजिक न्याय (निर्भया घटनाः 16 दिसंबर, 2012 के विशेष संदर्भ में)

flb

### धरवेश कठेरिया ' रवि कुमार ै शिवांजलि कठेरिया ै अमित कुमार ी अनुज कुमार सिंह ै संघर्श मिश्र 1

े सहायक प्रोफेसर, संचार एवं मीडिया अध्ययन केंद्र, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा (महाराष्ट्र)। <sup>2</sup> सहायक प्रोफेसर, भारतीय एवं विदेशी भाषा प्रगत अध्ययन केंद्र, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा (महाराष्ट्र)। <sup>3</sup> स्वतंत्र लेखन एवं शोध कार्य में संलग्न, जबलपुर, मध्यप्रदेश।

<sup>4</sup> एम. फिल., शोधार्थी, संचार एवं मीडिया अध्ययन केंद्र, महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा (महाराष्ट्र)। <sup>\*</sup> एम. फिल., शोधार्थी, डायस्पोरा अध्ययन केंद्र, गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय, गांधीनगर (गुजरात)।

ै एम. फिल., शोधार्थी, विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार नीति अध्ययन केंद्र, गुजरात केंद्रीय विश्वविद्यालय, गांधीनगर (गुजरात)।

सारांश:- विश्वगुरु के खिताब से सम्मानित हमारा देश सदा अपने गौरवशाली इतिहास पर गर्व करता रहा है। हमारी सामाजिक व्यवस्था और संस्कृति विश्व के अन्य देशों के लिए मार्ग प्रशस्त करती रही है। परंतु आज स्थिति इसके उलट हो गई है हमारी सामाजिक व्यवस्था और संस्कृति पर प्रश्न चिह्ना खड़े हो रहे हैं? आज हम भारतीय कुछ लोगों की वजह से दुष्कर्मी, अत्याचारी और महिलाओं के प्रति घृणित व्यवहार और दोयम दर्जे की सोच रखने वाले ढोंगियों की संज्ञा से परिभाषित होने लगे हैं।

दुष्कर्म एक ऐसा अमानवीय अपराध है जो न सिर्फ पीड़िता के सम्मान तथा आत्मविश्वास पर घात करता है अपितु ये हमारे 'संस्कारित' समाज के हर वर्ग में फैलती दूषित मानसिकता का भी प्रतीक बनता जा रहा है। आज समाज का कोई भी तबका दुष्कर्म जैसे सामाजिक कुरीति से अछूता नहीं है, फिर चाहे वो आर्थिक रूप से समृद्ध वर्ग के सदस्य हो जैसे तहलका के संपादक, तरुण तेजपाल, आईएएस ऑफिसर जेपी जोशी, धर्मगुरु आसाराम बापू, नारायण साई आदि या सामाजिक तथा मानसिक रूप से विक्षिप्त युवकों की जमात जिसका दुर्भाग्यपूर्ण शिकार निर्भया, मुंबई की मैग्जीन फोटोग्राफर, नर्स (यहां किसी के भी नाम का जिक्र करना उचित प्रतीत नहीं होता है।) और अनेक न जाने कितनी विवश लड़कियां एवं महिलाएं यदा—कदा होती ही रहती हैं।

परंतु दुर्भाग्यवश ज्यादातर महिलाएं आज भी ऐसे अपराधों के खिलाफ पुलिस में जाने से कतराती हैं तथा न्याय से वंचित रह जाती हैं। कहीं न कहीं पुलिस का नकारात्मक तथा अपमानजनक रवैया दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराधों के समय रहते दर्ज होने में बाधा उत्पंन करता है। तथा इसमें कोई दो राय नहीं है कि पुलिस का निराशाजनक रवैया भी उसी कुरीति की देन है जिससे संपूर्ण समाज ग्रसित है या महिलाओं के प्रति असमानता तथा भेदभाव। हमारी रुढ़िवादी परंपरा एवं पक्षपातपूर्ण परवरिश, पुरुषों के महिलाओं के प्रति असमानता तथा भेदभाव। हमारी रुढ़िवादी परंपरा एवं पक्षपातपूर्ण परवरिश, पुरुषों के महिलाओं के प्रति बर्बरतापूर्ण व्यवहार के लिए जिम्मेदार हैं। फिर सामाजिक एवं पारिवारिक वातावरण, धार्मिक मान्यताएं तथा राजनैतिक द्वेष पुरुषों तथा महिलाओं को दो बिलकुल ही विपरीत वर्गों में विभाजित कर देता है, एक वर्ग स्वतंत्र एवं आक्रामक तथा दूसरा अधीन, शोषित एवं दबा हुआ। परंतु इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं कि पुलिस पर सारी जिम्मेदारी छोड़कर हम अपने नैतिक दायित्वों से मुख फेर लें। समाज का अहम हिस्सा होने के नाते हमारी जिम्मेदारी है कि महिलाओं के प्रति हो रहे किसी भी दुर्व्यवहार के विरुद्ध हम अपना विरोध दर्ज करें। फिर चाहे वो घरेलू हिंसा हो, छेड़छाड़ हो, दुष्कर्म हो या मानव तस्करी। अगर समाज का हर व्यक्ति ऐसे सामाजिक कुरीतियों को अपनी मौन स्वीकृति देने की बजाय इसके विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद करने का निश्चय कर ले तो हम शायद ऐसे अत्याचारों को का बू कर सकते हैं।

*शब्द—कुं जीः* कुठाराघात, संस्कारित, विश्वगुरु, कुरीति, गुरेज, सहनशीलता, परिणति, लैंगिक दुर्व्यवहार, हिंसात्मक प्रवृत्ति, अपराध, घृणित व्यवहार, आनंदमय, उल्लासपूर्ण, दर्रिंदगी, हैवानियत, अत्याचारी, दुर्भाग्यपूर्ण, विक्षिप्त, धर्मगुरु, दुष्कर्मी, बर्बरतापूर्ण, रूढ़िवादी, वातावरण, सशक्तिकरण, समृद्ध वर्ग, संयुक्त

धरवेश कठोरिया ''वि कुमार' शिवांजलि कठेरिया ' अमित कुमार ' अनुज कुमार सिंह ' संघर्श मिश्रा ', ''महिला जागरूकता एवं सामाजिक न्याय (निर्मया घटनाः 16 दिसंबर 2012 के विशेष संदर्भ में) '', Golden Research Thoughts | Volume 4 | Issue-9 | March 2015 | Online & Print

परिवार, छेड़छाड, शोषित, परवरिश, तबका, आक्रामक, ढोंगी।

### अध्ययन के लक्ष्य एवं उद्देष्यः

- ◆निर्भया घटना के बाद क्या समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान बढा है? का अध्ययन एवं विश्लेषण करना।
- क्या निर्भया घटना के बाद महिलाओं के प्रति हो रहे यौन अपराधों में कमी आई है? का अध्ययन करना।
- •विश्व पटल पर महिलाओं के प्रति बढ़ती हिंसात्मक प्रवृत्ति के कारण एवं समाधान हेतु उपायों के विभिन्न कारगर बिंदूओं का अध्ययन।
- ◆महिला सशक्तिकरण एवं सामाजिक स्वीकार्यता को बढ़ावा देने हेतू विभिन्न उपायों का अध्ययन एवं विश्लेषण करना।
- ∻महिला सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास एवं प्रभाव का अध्ययन एवं विश्लेषण।
- ∻व्यावहारिक स्तर पर हमारी सरकार ⁄ शासन तथा प्रशासन के लोग महिला सशक्तिकरण एवं सुरक्षा को लेकर कितने सजग एवं गंभीर हैं के प्रभाव एवं समाज ∕ देश में इसकी स्थिति का अध्ययन करना।

### शोध प्रविधिः

प्रस्तुत अध्ययन 'महिला जागरूकता एवं सामाजिक न्याय' में शोध हेतु निदर्शन तथ्य विश्लेषण पद्धति के माध्यम से शोध को स्वरूप प्रदान करने का प्रयास किया गया है। अध्ययन के दौरान विभिन्न शोध पद्धतियों के माध्यम से यह जानने की कोशिश की गई है कि क्या निर्भया घटनाः 16 दिसंबर, 2012 के बाद समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान बढ़ा है?, क्या इस घटना के बाद महिलाओं के प्रति हो रहे अपराधों में कमी आई है? या महिला सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास कहां तक सफल हुए हैं। क्या आज हमारा समाज 16 दिसंबर, 2012 जैसी घटनाओं के समाधान प्रस्तुत करने में सक्षम हुआ है? क्या आज समाज के पास इन दरिंदों के लिए कोई ऐसी सजा है जिसे देने से उनकी रूह तक कॉप जाए? ऐसे कई बिंदू है जिनके उत्तर विस्तार से खोजने का प्रयास इस शोध में किया गया है। शोध कार्य के निमित्त तथ्यों के संकलन स्रोतों को दो भागों में विभाजित किया गया है प्राथमिक स्रोत तथा द्वितीयक स्रोत। प्राथमिक आंकड़ों का संकलन प्रश्नावली के माध्यम से किया गया है। एवं द्वितीयक आंकड़ों के संकलन हेतु पूर्व अध्ययन, रिपोर्ट, विभिन्न पत्र—पत्रिकाओं में प्रकाशित लेख, पुस्तकें, शोध पत्रिकाओं एवं विभिन्न समसामयिक अध्ययन एवं समाचारपत्रों का सहयोग लिया गया है।

### अध्ययन की सीमाएं:

अध्ययन में महिला जागरूकता एवं सामाजिक न्याय को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार की घटित—घटनाओं से समाज में होने वाले विभिन्न प्रकार के सकारात्मक (निर्भया घटना 16 दिसंबर, 2012 के बाद से महिलाएं रात में किसी कार्य हेतु बाहर निकलने, आस—पास के माहौल को सजगता से समझने का प्रयास करने लगी है।) एवं नकारात्मक परिवर्तनों का मूल्यांकन करने का प्रयास किया गया है। साथ ही इस प्रकार की घटनाओं से स्त्री एवं पुरुषों के व्यवहार में किस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। अध्ययन में सौ महिला एवं सौ पुरुष प्रतिभागिायों को शामिल किया गया है। यह प्रतिभागी किसी क्षेत्र विशेष से न होकर पूरे वर्धा शहर का प्रतिनिधित्व करते हैं। अध्ययन में शामिल प्रतिभागियों की संख्या केवल दो सौ है इसलिए अध्ययन के निष्कर्षों को पूरे देश या विश्व पर लागू नहीं किया जा सकता है लेकिन इन निष्कर्षों को एक मानक आधार के रूप में अवश्य माना जा सकता है। यह अध्ययन वर्तमान समाज में महिलाओं के प्रति घट रहे विभिन्न प्रकार के अपराध संबंधी घटनाओं तक ही सीमित विश्लेषण प्रस्तुत करता है।

### संबंधित साहित्य का पुनरावलोकनः

प्रस्तुत अध्ययन 'महिला जागरूकता एवं सामाजिक न्याय' के संबंध में कुछ प्रसिद्ध चिन्तकों ने अपने महत्त्वपूर्ण विचार व्यक्त किए हैं। इन विचारों का उल्लेख शोध में आवश्यकतानुसार किया गया है। प्रमुख पुस्तक एवं रिपोर्ट का विवरण इस प्रकार है—

शोभिता जैन, भारत में परिवार, विवाह और नातेदारी (2004)ः डॉ. शोभिता जैन द्वारा मौलिक रूप से लिखी गई इस पुस्तक में पितृवंशीय परिवार, विवाह एवं नातेदारी की समग्र व्याख्या की है। आज के समय में परिवार के लिए यह व्यवस्था कितनी आवश्यक है इसे समझा जा सकता है।

वृंदा करात, भारतीय नारी, संघर्ष और मुक़्ति (2008)ः पुस्तक में बहुआयामी संघर्ष, वैश्विकरण और उत्तरजीविता के मुद्दे, राजनीतिक भागीदारी, सांप्रदायिकता और महिलायें, महिलाओं के विरूद्ध हिंसा आदि सामग्री को विस्तार से स्पष्ट करने का प्रयास किया है।

ू चेतन मेहता, महिला एवं कानून (2004): चेतन सिंह मेहता ने इस कृति के माध्यम से सदियों से पीड़ित, प्रताड़ित, असहाय,

दुर्बल, दीन—हीन, विपन्न एवं शोषित भारतीय नारी के उत्थान, विकास, उन्नति, उसके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने, उसे अत्याचार, अनाचार, अतिक्रमण, उत्पीड़न एवं शोषण से मुक़्ति दिलाने एवं उसके दबे हुए, बुझे हुए, मुरझाए हुए, रोते हुए चेहरे से शोषण की परत हटा उसे आनंदमय, उल्लासपूर्ण स्वतंत्र वातावरण में सांस लेने हेतु उसके कानूनी अधिकारों की जानकारी प्रदान कर

Golden Research Thoughts | Volume 4 | Issue 9 | March 2015

### अधिकारों के लिए संघर्ष करने का आहवान किया है।

सुधारानी श्रीवास्तव, आशा श्रीवास्तव, महिला शोषण और मानवाधिकार (2010)ः पुस्तक का आरंभ वैदिक संस्कृति से प्रारंभ होता है। वैदिक काल में नारी की स्थिति का वर्णन ऋग्वेद में आता है। कानून में स्त्रियों के वर्गीकरण को दर्शाया गया है। संविधान में महिला और पुरुष के समानता की बात कही गई है।

अंजली, भारत में महिला अपराध (2005)ः पुस्तक में महिला अपराध से संबंधित सभी पक्षों पर पूरी सम्यकता के साथ प्रकाश डाला गया है। इसमें अपराध के सैद्धांतिक पक्षों के साथ–साथ महिलाओं के खिलाफ़ होने वाले अपराधों के विभिन्न प्रकारों की भी चर्चा की गई है। वैवाहिक हिंसा, यौन उत्पीड़न, बलात्कार, वेश्यावृत्ति, दहेज उत्पीड़न और मादा–भ्रूण हत्या आदि की चर्चा प्रस्तुत पुस्तक में की गई है।

रेणुका नैय्यर, औरत की पीड़ा (1997)ः यह पुस्तक निरंतर चल रहे इस सिलसिले का दस्तावेज है, जिसमें नारी की नयी समस्याओं को ही उजागर नहीं किया गया, बल्कि उनसे उबरने के लिये संघर्ष करने की प्रेरणा भी देती है।

मृणाल पाण्डे, स्त्री–देह की राजनीति से देश की राजनीति तक (2008)ः हमारे उपनिषदों, पुराणों के समय से स्त्रियों को लेकर जिन नियमों और मर्यादाओं की रचना हुई, उनकी स्वाधीनता और आत्म–निर्भरता के खिलाफ़ निहित स्वार्थों द्वारा जो महीन किस्म का सांस्कृतिक षड्यंत्र रचा गया। और, भारतीय सांविधान के लागू होने के बाद भी व्यावहारिक जीवन में स्त्रियों को जिन जटिल अंतर्विरोधों से जूझना पड़ रहा है। उक्त पुस्तक के विभिन्न लेखों में एक स्त्री के नज़रिये से इस सबकी समसामयिक संदर्भों में पडताल की कोशिश की गई है।

रवींद्रनाथ मुकर्जी, भारतीय समाज व संस्कृति (1964 संशोधन 2006–2009)ः प्रस्तुत पुस्तक में लेखक ने भारतीय समाज और संस्कृति की आवश्यकता पर प्रकाश डाला है। लेखक ने अपने आमुख में लिखा है कि आज के लगातार परिवर्तित युग में भारत भी वैश्वीकरण तथा पश्चिमी संस्कृति के बढ़ते प्रभावों से अछूता नहीं रह पाया है। परिणाम स्वरूप भारतीय समाज की सभी प्राचीन संस्थाओं जैसे परिवार, विवाह, नातेदारी, धर्म, जाति, परंपराओं, सामाजिक मान्यताओं एवं मूल्यों में अभूतपूर्व परिवर्तन हुए है।

के. एल. शर्मा, भारतीय सामाजिक संरचना एवं परिवर्तन (रावत पब्लिकेशंस, 2006, द्वारा प्रकाशित)ः यह पुस्तक 19 अध्यायों में भारतीय सामाजिक संरचना एवं परिवर्तन के विभिन्न अध्यायों का परीक्षण करती है। लेखक ने इस पुस्तक में भारतीय समाज और सामाजिक परिवर्तन के बारे में एक व्यापक और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण प्रदान करने का प्रयास किया है।

### विशाखा गाइडलाइंस एवं वर्कप्लेस बिल, 2012ः यौन उत्पीड़न, क्या हैं विशाखा गाइडलाइंस..?

राजस्थान की राजधानी जयपुर के निकट भटेरी गांव की एक महिला भंवरी देवी ने बाल विवाह विरोधी अभियान में हिस्सेदारी कर बहुत बड़ी कीमत चुकाई थी। वर्ष 1992 में उनके साथ बलात्कार किया गया साथ ही अन्य मुसीबतें भी उन्हें झेलनी पड़ीं। उनके मामले में कानूनी फैसलों के आने के बाद विशाखा और अन्य महिला गुटों ने सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी। इस याचिका में कोर्ट से आग्रह किया गया था कि कामकाजी महिलाओं के बुनियादी अधिकारों को सुनिश्चित कराने के लिए संविधान की धारा 14, 19 और 21 के तहत कानूनी प्रावधान किए जाएं।

महिला गुट विशाखा और अन्य संगठनों की ओर से दायर इस याचिका को विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान सरकार और भारत सरकार के मामले के तौर पर जाना गया। इस मामले में कामकाजी महिलाओं को यौन अपराध, उत्पीड़न और प्रताड़ना से बचाने के लिए कोर्ट ने विशाखा दिशा—निर्देशों को उपलब्ध कराया और अगस्त 1997 में इस फैसले में कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की बुनियादी परिभाषाएं दीं। कोर्ट ने वे दिशा—निर्देश भी तय किए जिन्हें आम तौर पर विशाखा दिशानिर्देश के तौर पर जाना जाता है।

उल्लेखनीय है कि कार्यस्थल पर महिलाओं के सम्मान की सुरक्षा के लिए वर्कप्लेस बिल, 2012 भी लाया गया जिसमें लिंग समानता, जीवन और स्वतंत्रता के अधिकारों को लेकर कड़े कानून बनाए गए हैं। यह कानून कामकाजी महिलाओं को सुरक्षा दिलाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इन कानूनों के तहत यह रेखांकित किया गया है कि कार्यस्थल पर महिलाओं, युवतियों के सम्मान को बनाए रखने के लिए क्या—क्या कदम उठाए जा सकते हैं। अगर किसी महिला के साथ कुछ भी अप्रिय होता है तो उसे कहां और कैसे अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए? अगर किसी भी कार्यस्थल पर इस तरह की व्यवस्था नहीं है तो वह अपने वरिष्ठों के सामने इस स्थिति को विचार के लिए रख सकती है या फिर समुचित कानूनी कार्रवाई के लिए आगे आ सकती है।

(http://hindi.webdunia.com/current.affairsध्यौन–उत्पीड़न–क्या–हैं–विशाखा–गाइडलाइंस. 113120300069\_1.htm)

### प्रस्तावनाः

विश्वगुरु के खिताब से सम्मानित हमारा देश सदा अपने गौरवशाली इतिहास पर गर्व करता रहा है। परंतु आज हम भारतीय दुष्कर्मी कुछ लोगों की वजह से अत्याचारी तथा महिलाओं के प्रति नीची और दोयम दर्जे की सोच रखने वाले ढोंगियों की संज्ञा से परिभाषित होने लगे हैं। इसका प्रमाण यूनाइटेड नेशन्स ह्यूमन राइट्स काउंसिल की जेनेवा में 24 सितंबर, 2013 को

आयोजित बैठक में देखने को मिला जब इंटरनेशनल हयूमनीज एंड एथिकल यूनियन (IHEU) के राय ब्राउन ने सैकड़ों की संख्या में दलित महिलाओं तथा बालिकाओं पर सामूहिक दुष्कर्म तथा दूसरे अत्याचारों के दर्ज मामलों की प्रभावी जांच में असफल भारत

Golden Research Thoughts | Volume 4 | Issue 9 | March 2015

### की भर्त्सना की ।

(http://iheuorg/story/iheu&criticises&india&ongoing&failure&investigate&atrocities&against &dalits)

दुष्कर्म सिर्फ पीड़िता को शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित करना नहीं बल्कि ऐसी हर घटना हमारे सभ्य समाज के संस्कारित चेहरे पर कलंक मढ़ती है जो समय के साथ और गहराता जाता है। ये हमारे नैतिक मूल्यों एवं सभ्यता की नींव पर लग चुकी ऐसी दीमक है जिसे रोकने अगर त्वरित एवं प्रभावी कदम न उठाए गए तो यह समस्या हमारे समाज एवं संस्कृति को नष्ट कर देगी। आज हम अपने सामाजिक एवं नैतिक दायित्व का निर्वाहन मात्र टीवी के सामने बैठ निर्भया दुष्कर्म मामले के अपराधियों को मौत की सजा की घोषणा से खुश होकर कर देते हैं। सजा के उपरांत अपराधियों में दहशत एवं उनके रोने के समाचार हमें आत्मिक सुख पहुंचाते हैं और कहीं न कहीं उस मानसिक अपमान एवं प्रताड़ना पर भी औषधीय लेप लगाते हैं जो हमें निर्भया के दुष्कर्म तथा उसकी दर्दनाक मौत से महसूस हुई थी।

हमारी इस सजा से संतुष्टि तथा बदला लेने की प्रवृत्ति इस ओर संकेत करती है कि शायद हम दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध का स्थायी नहीं वरन त्वरित समाधान चाहते हैं। हमारे त्वरित समाधान चाहने वाली प्रवृत्ति के दुष्परिणामों से शायद हमने कोई सबक न लिया हो परंतु अपराधियों के हौसले जरूर बुलंद हो गए। उन्होंने ये अच्छी तरह समझ लिया है वे चाहे कितना भी जघन्य अपराध क्यों न कर ले, हमारे समाज की सहनशीलता की परिधि से बाहर नहीं है। हद तो तब पार हो जाती जब महिलाओं पर सदियों से हो रहे इस अत्याचार के खिलाफ जब कोई सख्त एवं प्रभावी कानून बनाया जाता है तो हास्यास्पद रूप से हमारा पुरुष–प्रधान समाज इसे यह कह कर नकारने की कोशिश करता है कि इसकी परिणति भी कहीं दहेज कानून की तरह न हो जाए जिसका दुरुपयोग सैकड़ों बेकसूरों को सलाखों के पीछे भेज चुका है। आए दिन हमें हमारे सम्माननीय नेताओं, धर्मगुरुओं, विचारकों तथा समाज के अन्य ठेकेदारों के व्यख्यान सुनने को मिलते हैं जो अपने दबे शब्दों में अब महिलाओं के संस्कार, सम्मान तथा स्वतंत्रता के अधिकार पर भी सवाल उठा रहे हैं? ये ऐसे लोग हैं जिन्हें महिलाओं की उन्मुक्त सोच तथा आत्मनिर्भरता से बढ़ रहे आत्मविश्वास से तो समस्या है परंतु पुरुषों द्वारा उन पर की जाने वाली शारीरिक तथा मानसिक दरिंदगी और हैवानियत से गुरेज नहीं है।

शायद हमारी इसी सोच का नतीजा है कि निर्भया कांड के वक्त न्याय के लिए हमने जिस मनोबल के साथ विरोध प्रदर्शन किया वह मनोबल पिछले एक वर्ष में दर्जनों दुष्कर्म कांड होने के बाद भी कहीं दिखाई नहीं देता। इतने विरोध तथा समानाधिकार की कोशिशों के बावजूद महिलाओं के प्रति लैंगिक दुर्व्यवहार उनके जीवन का एक कटु सत्य बनता जा रहा है। हालाकि इस मामले ने संपूर्ण दक्षिण एशियाई राष्ट्रों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर गंभीर बहस जरूर छेड़ दी तथा देश की संसद को यौन उत्पीड़न संबंधी कानून को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए महत्त्वपूर्ण दवाब डाला। जिसमें दुष्कर्म मामले में कम से कम 20 साल की सजा तथा पीड़िता की मौत पर मृत्युदंड शामिल हैं। इसके अलावा दुष्कर्म की परिभाषा को और अधिक विस्तारित किया गया जिसमें किसी भी वस्तु या शारीरिक अंग को महिला के शरीर में दाखिल करना शामिल है।

(http://www-dw-de/a&year&after&the&delhi&gang&rape&what&has&changed/a &17293325)

पुराने कानून में संशोधन करते हुए, नए कानून के तहत शिकायत दर्ज कराने हेतु समयावधि की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। अब पीड़िता को यह स्वतंत्रता दी गयी है कि वह अपनी शिकायत कभी भी और किसी भी समयान्तराल के उपरांत दर्ज करा सकती है।

इसके साथ ही अब यह आवश्यक नहीं है कि शिकायत पीड़िता द्वारा ही दर्ज कराई जाये। कोई भी व्यक्ति जो इस अपराध की जानकारी रखता है वो पीड़िता की ओर से पुलिस में अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। इसका जीवंत उदाहरण पिछले दिनों तहलका के प्रधान संपादक तरुण तेजपाल की गिरफ्तारी के रूप में देखने को मिला। (इंडियन एक्सप्रेस, साप्ताहिक पत्रिका 'आई' दिसंबर 15–21, 2013, पृष्ट क्रमांक 15)

परिणाम स्वरूप दुष्कर्म से जुड़े सामाजिक भय में कमी दर्ज की गयी है। पीड़ित लड़कियां अब ज्यादा निसंकोच होकर अपनी शिकायतें दर्ज करती हैं। मीडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2012 के मुकाबले जब पूरे साल में दुष्कर्म के सिर्फ 706 मामले सामने आए, वर्ष 2013 में अक्टूबर तक नई दिल्ली में दुष्कर्म के 1330 मामले दर्ज कराए गए।

(http://www.dwde/a&year&after&the&delhi&gang&rape&what&has&changed/a&17293325 <sup>1</sup>/<sub>2</sub>)

यूनिसेफ ने 2012 में अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि 15 से 19 वर्ष के बीच के 57 प्रतिशत भारतीय लड़के तथा 53 प्रतिशत भारतीय लड़कियां यह मानतें हैं कि महिलाओं पर घरेलू हिंसा न्यायोचित है।

(http://www-dw-de/a&year&after&the&delhi &gang&rape &what&has& changed/a&17293325)

यहां पारिवारिक पक्ष की महत्त्वपूर्ण भूमिका है जो जीवन के ऊंचे—नीचे पड़ावों में युवकों को भटकने से रोकने में सक्षम है। किशोरावस्था में प्रवेश करता बालक दूसरी महिलाओं तथा लड़कियों से वैसा ही व्यवहार करता है जैसा उसने बचपन से अपने पिता को माता के साथ करते देखा है। इसमें कोई संदेह नहीं कि अनुशासन तथा सकारात्मक परिवार माहौल में हुई परवरिश उन्हें सही निर्णय लेने में सदा सहायता करती है। अतः यह अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि वे अपनी संतानों विशेषकर बालकों को हर नारी का सम्मान करने की सीख दें। हर मां को चाहिए कि वो अपने पुत्र को समझाए कि कोई भी महिला चाहे वो किसी भी पेशे से जुडी हो, पहले वह इंसान है जिसके

4

साथ आदर तथा इंसानियत से ही पेश आना चाहिए। इसके साथ ही पीड़िता के परिवार को चाहिए कि वे सामाजिक भय तथा अपमान को छोड़ कर न्याय प्राप्ति में पीड़िता का साथ दें। क्योंकि दुष्कर्म जैसे अपराधों में लड़कियां ज्यादातर ईर्ष्या, जलन, द्वेष तथा बदनीयती का शिकार होती हैं जिसमे उनका कोई दोष नहीं होता। अतः किसी निर्दोष पीड़िता को दोषारोपण करना किसी भी हाल में न्यायोचित नहीं है। समाज की आधारभूत इकाई होने के नाते, परिवार में अनुशासन तथा सकारात्मक सोच भटकते युवकों के प्रदूषित विचारों तथा नकारात्मक कृत्यों को एक सकारात्मक दिशा प्रदान कर सकती हैं।

एक रिपोर्ट के अनुसार दुष्कर्म जैसे अपराध बहुत तेजी से बढ़ रहे है। 1953 से अभी तक इन कृत्यों में 873 प्रतिशत बढ़ोत्तरी दर्ज की गयी है। आंकड़ों के हिसाब से हमारे देश में हर एक घंटे में दो महिलाएं दुष्कर्म का शिकार होती है तथा हर 10 घंटे में 1 से 10 वर्ष की कोई बालिका इस बर्बरतापूर्ण पीड़ा से गुजरती है। दुर्भाग्यवश दुष्कर्म जैसे अपराध में कमी होने की बजाय इस अपराध में राष्ट्रव्यापी बढ़ोत्तरी दर्ज की गई है जिससे प्रतीत होता है कि दुष्कर्मियों के बढ़ते हौसलों को किसी नियम—कानून का भय नहीं रहा।

### (http://educatesquare-com/rise&in&rape&cases&in&india&causes&and&remedies)

वर्ष 2007 तथा 2011 के दौरान, अकेले दिल्ली में 2620 दुष्कर्म के मामले दर्ज किए गए | जबकि इसी समयावधि में मुंबई में 1033, बैंग्लोर में 383, चेन्नई में 293 तथा कोलकाता में 200 मामले सामने आए | तथ्यों से विषय की गंभीरता का अंदाजा लगाया जा सकता है |

### (http://educatesquare-com/rise&in&rape&cases&in&india&causes&and&remedies)

नेशनल क्राइम रेकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार 2012 में देश के विभिन्न कोनों से 24,923 एवं 2013 में 33,707 दुष्कर्म के मामलें उजागर हुए जबकि दर्ज न किए गए मामलों की संख्या इससे कहीं अधिक हैं। (http://ireport-cnncom/docs/DOC&1035785)

इसी प्रकार 10.6 प्रतिशत पीड़िता ऐसी हैं जिनकी उम्र 14 वर्ष से कम होती है जबकि 19 प्रतिशत नाबालिग होती हैं । (http://youthtimes-in/delhi&rape&statistics&rape&capital&of&india/)

### दुष्कर्म के कारणः

♦सामाजिक सुरक्षा की कमी।

एकांकी परिवार के कारण पारिवारिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक समझ की कमी। तकनीकी विकास के कारण पश्चिमी संस्कृति का आगमन, प्रभाव एवं जिम्मेदारी का अभाव।

पुलिस प्रशासन में महिला पुलिस कर्मचारियों की कमी।

♦ सुस्त न्यायिक व्यवस्था एवं प्रशासन की उदार नीतियां।

समाज में महिलाओं के प्रति आदर एवं सम्मान की कमी।

### तथ्य विश्लेषण एवं आंकड़ों का प्रस्तुतीकरणः

अध्ययन को उपयोगी एवं प्रभावी बनाने के लिए वर्धा के शहरी क्षेत्र में रहने वाले विभिन्न महिला—पुरुषों को शामिल किया गया है। जिनकी आयु 18 वर्ष से ऊपर है। प्रश्नावली के माध्यम से तथ्य संकलन हेतु निदर्शन के आधार पर वर्धा के शहरी क्षेत्र से 200 (100 महिला एवं 100 पुरुष) प्रतिभागियों को शामिल किया गया है। इस हेतु अध्ययन में विभिन्न शोध पद्धतियों का उपयोग किया गया है। शोध पद्धतियों के माध्यम से यह जानने की कोशिश की गई है कि क्या निर्भया घटनाः 16 दिसंबर, 2012 के बाद समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान बढ़ा है? अपराधिक घटनाओं में कमी आई है? या फिर महिला सशक्तिकरण एवं सामाजिक स्वीकार्यता को बढ़ावा मिला है। जैसा कि विषय के संदर्भ में अध्ययन में उपकल्पना की गई थी अध्ययन के सभी तथ्य उपकल्पनाओं को सटीक साबित करते है।

महिला सम्मान, महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध, महिलाओं के प्रति बढ़ती हिंसात्मक प्रवृत्ति के कारण, महिला सशक्तिकरण एवं सामाजिक स्वीकार्यता को बढ़ावा देने के विभिन्न उपाय, महिला सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयास, आदि ऐसे अनेक विषयों को उठाया गया है। इन सभी विषयों के प्रभावों को जानने के लिए प्रश्नावली के माध्यम से तथ्यों को संकलित करके उनका विश्लेषण किया गया है। जो इस प्रकार है– इस प्रश्नावली में कुल 15 प्रश्नों को रखा गया। इन बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से प्राप्त विभिन्न प्रकार के तथ्यों को शोध में शामिल किया गया है। प्रश्नावली में बहुविकल्प के रूप में हां, नहीं एवं थोडा़–बहुत को तथ्य संकलन हेतु आधार माना गया है, इसके साथ–साथ कुछ प्रश्नों में इनके अलावा भी प्रश्नों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर को शामिल किया गया है, ऐसे कुछ ही प्रश्न इस प्रश्नावली में रखे गए हैं जो उत्तरदाताओं की रूचि को बढ़ाने का काम करेंगे।

प्रश्नावली में अंतिम प्रश्न के रूप में उत्तरदाताओं से संबंधित विषय पर उनके विचारों को जानने का प्रयास किया गया है । प्रश्नावली में विभिन्नता होने के कारण यह तथ्य संकलन में भी सहायक साबित हुई । तथ्य संकलन हेतु प्रश्नावली के आधार पर वर्धा के शहरी क्षेत्र से 200 (100 महिला एवं 100 पुरुष) प्रतिभागियों को शामिल किया गया । प्रश्नावली में उनसे संबंधित निम्नलिखित

5

जानकारी भी प्राप्त की गई जो कि शोध की गुणवत्ता में सहायक साबित हुई प्राप्त जानकारी का विवरण इस प्रकार है–

इंटरनेट

नौकरी पेशा

छात्र एवं अन्य

क्रमांक

1 2

3

4

5

6

विवरण

आयु वर्ग 18-30

आयु वर्ग 30 से ऊपर

जपयोगकर्ता— ई—मेल मोबाइल जपयोगकर्ता

100 1	1	93	89	
90 - 80 - 70 - 50 - 40 - 20 - 10 - 0 -	72 4 23 25 25 25 25	40	75	<ul> <li>□ आयु वर्ग 18 - 30</li> <li>□ आयु वर्ग 30 जे का</li> <li>□ इंटर्सेट उपयोगकत उं-पेस</li> <li>■ गोबाइल उपयोगकत</li> <li>■ गोबाइल उपयोगकत</li> <li>■ गोकरी पंछा</li> <li>■ फाव एवं अन्य</li> </ul>

शोध में शामिल महिला एवं पुरुष प्रतिषागियों से संबंधित अन्य जानकारी

कुल शामिल प्रतिगागी

72

28

25

48

37

63

महिला संख्या-100

कुल शामिल प्रतिषागी

93

07

40


75


11

89

6

पुरुष संख्या-100





महिला मत— के संदर्भ में उपरोक्त ग्राफ से स्पष्ट है कि निर्भया दुष्कर्म/घटना के आंदोलन को 29 प्रतिशत महिलाएं, सशक्तिकरण के रूप में, 25 प्रतिशत, जागरूकता के रूप में अपना मत प्रस्तुत किया वही 46 प्रतिशत महिलाओं ने सामाजिक न्याय के रूप में अपनी राय प्रस्तुत की। इससे यह स्पष्ट होता है कि अधिकांश महिलाएं निर्भया दुष्कर्म घटना को सामाजिक न्याय के संदर्भ में देखती हैं।

*पुरुश मत*— के संदर्भ में उपरोक्त ग्राफ यह प्रदर्शित करता है कि निर्भया दुष्कर्म ∕ घटना के आंदोलन को 24 प्रतिशत पुरुष महिला सशक्तिकरण के रूप में, 31 प्रतिशत जागरूकता के तौर पर जबकि 45 प्रतिशत पुरुष सामाजिक न्याय के पक्ष में अपनी राय दर्ज करते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि सबसे अधिक पुरुष निर्भया दुष्कर्म के आंदोलन को सामाजिक न्याय के संदर्भ में देखते हैं।

प्रशनः 02 निर्भया के आरोपियों को हाल ही में कोर्ट द्वारा फांसी की सजा सुनाई गयी है क्या आप उससे संतुष्ट हैं?


*महिला मत*— के संदर्भ में 68 प्रतिशत ने अपनी सहमति दी कि वे निर्भया के आरोपियों को कार्ट द्वारा फांसी की सजा सुनाए जाने पर संतुष्ट थीं जबकि 17 प्रतिशत इस बात से असहमत हैं वहीं 15 प्रतिशत ने थोड़ा—बहुत सहमत नजर आयीं। इससे यह स्पष्ट होता है कि अधिकांश महिलाएं निर्भया के आरोपियों को कोर्ट द्वारा फांसी की सजा सुनाए जाने से संतुष्ट नजर आईं।

**पुरुष मत**— के संदर्भ में 65 प्रतिशत ने अपनी सहमति दी कि निर्भया के आरोपियों को कोर्ट द्वारा फांसी की सजा सुनाए जाने से संतुष्ट थे जबकि 16 प्रतिशत इस बात से असहमत थे वहीं 19 प्रतिशत थोड़ा—बहुत सहमत नजर आएं, । यह स्पष्ट होता है कि अधिकांश पुरुष निर्भया के आरोपियों को कोर्ट द्वारा फांसी की सजा सुनाए जाने से संतुष्ट नजर आए ।

**प्रश्नः** 03 क्या नाबालिक होने के कारण एक अपराधी को फांसी नहीं देना उचित है?

*महिला मत*— के संदर्भ में 29 प्रतिशत महिलाएं सहमत नजर आईं कि नाबालिग होने के कारण अपराधी को फांसी नहीं देना उचित है जबकि 71 प्रतिशत असहमत नजर आई । स्पष्ट है कि अधिकांश महिलाएं नाबालिग होने के कारण भी अपराधी को फांसी देने के पक्ष में नजर आयीं ।

*पुरुष मत*— के संदर्भ में 41 प्रतिशत सहमत नजर आएं नाबालिग होने के कारण अपराधी को फांसी नहीं देना उचित है जबकि 59 प्रतिशत असहमत नजर आये। इससे यह स्पष्ट है कि अधिकांश लोग नाबालिग होने के कारण भी अपराधी को फांसी देने के पक्ष में दिखे हैं।



**प्रश्नः** 04 क्या निर्भया मामले ने सामाज में महिलाओं के प्रति हो रहे अन्याय के विरुद्ध लडने की हिम्मत दी है?

**महिला मत**— के संदर्भ में उपरोक्त ग्राफ से स्पष्ट है कि 52 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सहमति व्यक्त की है कि निर्भया मामले ने समाज में महिलाओं के प्रति हो रहे अन्याय के विरुद्ध लड़ने की हिम्मत दी है जबकि 12 प्रतिशत इससे असहमत थीं। वहीं 36 प्रतिशत थोड़ा—बहुत के पक्ष में अपनी राय दर्ज करतीं हैं। इससे यह स्पष्ट है कि निर्भया मामले ने समाज में महिलाओं के प्रति हो रहे अन्याय के विरुद्ध लड़ने की हिम्मत दी है।

**पुरुष मत**— के संदर्भ में स्पष्ट है कि 73 प्रतिशत लोगों ने सहमति व्यक्त की है कि निर्भया मामले ने समाज में महिलाओं के प्रति हो रहे अन्याय के विरुद्ध लड़ने की हिम्मत दी है जबकि 8 प्रतिशत ने असहमति व्यक्त की है वहीं 19 प्रतिशत थोड़ा—बहुत के पक्ष में अपना मत देते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है निर्भया मामले ने समाज में महिलाओं के प्रति हो रहे अन्याय के विरुद्ध लड़ने की हिम्मत दी है।

**प्रश्नः** 05 क्या निर्भया घटना के बाद सरकार, प्रशासन तथा समाज महिलाओं के प्रति संवेदनशील एवं सजक हुए हैं?

महिला मत— के संदर्भ में 25 प्रतिशत महिलाओं ने अपनी सहमति व्यक्त की है कि निर्भया घटना के बाद सरकार, प्रशासन तथा समाज महिलाओं के प्रति संवेदनशील एवं सजग हुए हैं जबकि 32 प्रतिशत असहमति व्यक्त की वहीं 43 प्रतिशत महिलाओं ने थोड़ा—बहुत के पक्ष में अपनी राय दर्ज की। स्पष्ट है कि थोड़ा—बहुत निर्भया घटना के बाद सरकार, प्रशासन तथा समाज महिलाओं के प्रति संवेदनशील एवं सजक हुआ है।

*पुरुष मत***— के संदर्भ में 32 प्रतिशत पुरुषों ने अपनी सहमति व्यक्त की कि निर्भया घटना के बाद सरकार, प्रशासन तथा समाज** महिलाओं के प्रति संवेदनशील एवं सजक हुए है जबकि 32 प्रतिशत ने असहमति व्यक्त की वही 36 प्रतिशत पुरुष थोड़ा—बहुत के पक्ष में अपनी राय दर्ज करते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि थोड़ा—बहुत निर्भया घटना के बाद सरकार, प्रशासन तथा समाज महिलाओं के प्रति संवेदनशील एवं सजग हुआ है।

7

### प्रश्नः 06 क्या राजधानी में घटित होने के कारण निर्भया घटना को बेहतर कवरेज मिला?




*महिला मत*— के संदर्भ में स्पष्ट है कि 68 प्रतिशत उत्तरदाता सहमत थे कि राजधानी में घटित होने के कारण निर्भया घटना को बेहतर कवरेज मिला है वहीं 14 प्रतिशत नहीं के पक्ष में थे, जबकि 18 प्रतिशत महिलाएं थोड़ा—बहुत के पक्ष में थीं। इससे यह स्पष्ट होता है कि राजधानी में घटित होने के कारण निर्भया घटना को बेहतर कवरेज मिला।

**पुरुष मत**— के संदर्भ में उपर्युक्त ग्राफ यह दर्शाता है कि 69 प्रतिशत मतदाता हां के पक्ष में अपनी राय दर्ज करते हैं कि राजधानी में घटित होने के कारण निर्भया घटना को बेहतर कवरेज मिला। वहीं 15 प्रतिशत नहीं के पक्ष में, जबकि 16 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने थोड़ा—बहुत के पक्ष में अपना मत दिया। इससे यह स्पष्ट होता है कि राजधानी में घटित होने के कारण निर्भया घटना को बेहतर कवरेज मिला।

प्रश्नः 07 क्या दुष्कर्म जैसे मामले किसी समुदाय या क्षेत्र विशेष में ही ज्यादा घटित होते हैं?

*महिला मत*— के संदर्भ में 26 प्रतिशत ने सहमति हां में व्यक्त की, कि दुष्कर्म जैसे मामले किसी समुदाय या क्षेत्र विशेष में ही ज्यादा घटित होते हैं जबकि 62 प्रतिशत असहमत नजर आई, वहीं 12 प्रतिशत महिलाओं ने थाड़ा—बहुत के पक्ष में अपना मत दिया। स्पष्ट है कि दुष्कर्म जैसे मामले किसी समुदाय या क्षेत्र विशेष में ही ज्यादा घटित नहीं होते हैं?

**पुरुष मत**— के संदर्भ में 32 प्रतिशत ने सहमति हां में व्यक्त की कि दुष्कर्म जैसे मामले किसी समुदाय या क्षेत्र विशेष में ही ज्यादा घटित होते हैं जबकि 53 प्रतिशत असहमत नजर आये वहीं 15 प्रतिशत पुरुषों ने थाड़ा—बहुत मत दिया। इससे यह स्पष्ट है कि दुष्कर्म जैसे मामले किसी समुदाय या क्षेत्र विशेष में ही ज्यादा घटित नहीं होते है?



प्रश्नः 08 क्या घर की चार दिवारी में लड़किया सुरक्षित हैं?

*महिला मत*– के संदर्भ में उपरोक्त ग्राफ से स्पष्ट है कि 1 प्रतिशत महिलाओं ने कहा कि लड़कियां घर की चार दिवारी में सुरक्षित हैं पर अपनी राय दर्ज की। जबकि 80 प्रतिशत महिलाओं ने असुरक्षित होने के पक्ष में अपना मत दिया। वहीं 19 प्रतिशत महिलाएं थोड़ा–बहुत के पक्ष में अपना मत देती हैं। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि लड़कियां घर की चार दिवारी में सुरक्षित नहीं हैं।

**पुरुष मत**— के संदर्भ में उपरोक्त ग्राफ से स्पष्ट है कि 11 प्रतिशत पुरूषों का मानना है कि लड़कियां घर की चार दिवारी में सुरक्षित हैं । जबकि 71 प्रतिशत पुरूष इसके विपक्ष में अपनी राय दर्ज करते हैं । वहीं 18 प्रतिशत पुरुष थोड़ा—बहुत के पक्ष में अपना मत देते हैं । इससे यह स्पष्ट है लड़कियां घर की चार दिवारी में सुरक्षित नहीं हैं ।

### **प्रश्नः** 09 बदलते सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य में क्या घरों में लड़किया / महिलाएं सुरक्षित हैं?

Golden Research Thoughts | Volume 4 | Issue 9 | March 2015


महिला मत– के संदर्भ में 04 प्रतिशत महिलाएं सहमत नजर आईं जबकि 82 प्रतिशत असहमत नजर आईं वहीं 14 प्रतिशत महिलाएं थोड़ा–बहुत सहमत नजर आयीं। इससे यह स्पष्ट है कि बदलते सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य में घरों में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं।

**पुरुष मत**— के संदर्भ में 08 प्रतिशत पुरुष सहमत नजर आएं जबकि 60 प्रतिशत असहमत नजर आएं वहीं 32 प्रतिशत पुरुष थोड़ा–बहुत सहमत नजर आए। इससे यह स्पष्ट है कि बदलते सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य में घरों में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं।

**प्रश्नः** 10 महिलाओं के साथ दुष्कर्म एवं अन्य अपराधों में युवाओं का शामिल होना क्या पारिवारिक विघटन का परिणाम है?

*महिला मत*— के संदर्भ में 50 प्रतिशत महिलाएं सहमत नजर आयीं जबकि 24 प्रतिशत महिलाओं ने अपनी असहमति व्यक्त की वहीं 26 प्रतिशत थोड़ा–बहुत के पक्ष में अपनी राय दर्ज कराती है। इससे यह स्पष्ट है कि महिलाओं के साथ दुष्कर्म एवं अन्य अपराधों में युवाओं का शामिल होना पारिवारिक विघटन का परिणाम ही है।

पुरुष मत— के संदर्भ में 37 प्रतिशत पुरुष सहमत नजर आए जबकि 34 प्रतिशत पुरुषों ने अपनी असहमति व्यक्त की वहीं 29 प्रतिशत थोड़ा–बहुत के पक्ष में थे। इससे यह स्पष्ट है कि महिलाओं के साथ दुष्कर्म एवं अन्य अपराधों में युवाओं का शामिल होना पारिवारिक विघटन का परिणाम ही है।



प्रश्नः 11 क्या आज के बिगड़ते सामाजिक एवं पारिवारिक माहौल में संयुक्त परिवार की कमी खलती है?

महिला मत— के संदर्भ में उपरोक्त ग्राफ से स्पष्ट है कि 81 प्रतिशत महिलाओं ने कहा कि आज के बिगड़ते सामाजिक एवं पारिवारिक माहौल में संयुक्त परिवार की कमी खलती है। जबकि 12 प्रतिशत महिलाएं नहीं के पक्ष में अपना मत देती हैं वहीं 17 प्रतिशत महिलाएं थोड़ा–बहुत के पक्ष में थीं। इससे यह स्पष्ट होता है महिलाएं आज के बिगड़ते सामाजिक एवं पारिवारिक माहौल में संयुक्त परिवार की कमी को महसूस करती हैं।

**पुरुष मत**— के संदर्भ में उपरोक्त ग्राफ से यह स्पष्ट होता है कि 73 प्रतिशत पुरुषों ने कहा कि आज के बिगड़ते सामाजिक एवं पारिवारिक माहौल में संयुक्त परिवार की कमी खलती है। जबकि 13 प्रतिशत पुरुष नहीं के पक्ष में थे वहीं 14 प्रतिशत उत्तरदाता थोड़ा–बहुत के पक्ष में अपनी राय दर्ज कराते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि आज के बिगड़ते सामाजिक एवं पारिवारिक माहौल में संयुक्त परिवार की कमी महसूस होती हैं।

प्रशनः 12 महिलाओं की अपनी आजादी कपड़े पहनने की रूचि काम करने की इच्छा पुरुष मित्रों के साथ घूमने व समय बिताने को समाज इस दशक में क्या स्वीकार कर पायेगा?

महिला मत— के संदर्भ में 23 प्रतिशत महिलाओं ने सहमति व्यक्त की जबकि 29 प्रतिशत ने अहसमति व्यक्त की वहीं 48 प्रतिशत महिलाओं ने थोडा–बहुत के पक्ष में अपनी राय दर्ज की। इससे यह स्पष्ट है कि महिलाओं की अपनी आजादी, कपडे पहनने की रूचि, काम करने की इच्छा, पुरूष मित्रों के साथ घूमने व समय बिताने को समाज इस दशक में थोड़ा–बहुत स्वीकार करता है।

**पुरुष मत**— के संदर्भ में 33 प्रतिशत पुरुषों ने सहमति व्यक्त की जबकि 38 प्रतिशत ने अहसमति व्यक्त की वहीं 29 प्रतिशत पुरुषों ने थोड़ा—बहुत के पक्ष में मत दिया। स्पष्ट है कि महिलाओं की अपनी आजादी, कपड़े पहनने की रूचि, कार्य की इच्छा, पुरुष मित्रों के साथ घूमने व समय बिताने को समाज इस दशक में थोड़ा–बहुत स्वीकार करता है।

**प्रश्नः** 13 क्या सामाजिक एवं आर्थिक असमानता समाज में महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार है?


महिला मत— के संदर्भ में 56 प्रतिशत महिलाएं हां में जबकि 44 प्रतिशत नहीं के पक्ष में थीं। इससे यह स्पष्ट है कि सामाजिक एवं

9

आर्थिक असमानता समाज में महिलाओं के प्रति यौन उत्पीडन के लिए जिम्मेदार हैं।

**पुरुष मत**— के संदर्भ में 56 प्रतिशत पुरुषों ने हां के मत में अपनी राय दर्ज की जबकि 44 प्रतिशत नहीं के पक्ष में अपनी राय दर्ज कराते हैं। इससे यह स्पष्ट है कि सामाजिक एवं आर्थिक असमानता समाज में महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार हैं।

**प्रश्नः** 14 पिछले कुछ घटनाओं को देखते हुए दुष्कर्म महिला संबंधित अपराधों में किशोर बालकों की भागेदारी बढ़ी है?



*महिला मत*— के संदर्भ में उपरोक्त ग्राफ से स्पष्ट है कि 70 प्रतिशत महिलाओं ने सहमति व्यक्त की कि दुष्कर्म संबंधी अपराधों में किशोर बालकों की भागीदारी बढ़ी है। जबकि 03 प्रतिशत महिलओं ने असहमति व्यक्त की वहीं 27 प्रतिशत महिलाएं थोड़ा—बहुत के पक्ष में अपनी राय दर्ज करती हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि दुष्कर्म संबंधित अपराधों में किशोर बालकों की भागीदारी बढ़ी है।

*पुरुष मत*— के संदर्भ में उपरोक्त ग्राफ से स्पष्ट है कि 73 प्रतिशत पुरुष इस मत पर सहमत थे कि दुष्कर्म संबंधी अपराधों में किशोर बालकों की भागीदारी बढ़ी है। जबकि 07 प्रतिशत पुरुषों ने असहमति व्यक्त की वहीं 20 प्रतिशत पुरुषों ने थोड़ा—बहुत के पक्ष में अपना मत दिया। इससे यह स्पष्ट होता है कि महिला दुष्कर्म संबंधी अपराधों में किशोर बालकों की भागीदारी बढ़ी है।

### अध्ययन निष्कर्षः

प्रस्तुत शोध में प्राप्त तथ्यों के विश्लेषण के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते है जिनका विवरण इस प्रकार है—

निर्भया दुष्कर्म / घटना के आंदोलन को अधिकांश महिला एवं पुरुष सामाजिक न्याय के संदर्भ में देखते हैं। इस घटना के कारण न्याय व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलते है।

- निर्भया के आरोपियों को कोर्ट द्वारा फांसी की सजा से 68 प्रतिशत महिला एवं 65 प्रतिशत पुरुष सहमत थे उक्त प्रतिशत यह दर्शाता है कि आम लोगों में आरोपियों के प्रति कितना गुस्सा है।
- ◆नाबालिक होने के कारण एक अपराधी को फांसी देने के पक्ष में 71 प्रतिशत महिला एवं 59 प्रतिशत पुरुष अपना मत देते है आम आदमी के लिए इस प्रकार का निर्णय लेना कठिन है इससे घटना की बिभित्सा का अंदाजा लगाया जा सकता है।
- •निर्भया घटना ने सामाज में महिलाओं के प्रति हो रहे अन्याय एवं अपराधों के विरुद्ध लड़ने की हिम्मत दी है जिससे महिलाए अन्याय के विरुद्ध लड़ने के लिए खुद को तैयार कर पाईं
- •निर्भया घटना के बाद सरकार, प्रशासन तथा समाज महिलाओं के प्रति संवेदनशील एवं सजक होने के कारण कुछ हद तक महिला अपराधों में कमी होने की संभावना व्यक्त की जा सकती है।
- राजधानी में घटित होने के कारण निर्भया घटना को बेहतर कवरेज मिला यह सच भी है परंतु इस घटना के बाद न्याय व्यवस्था में महत्त्वपूर्ण बदलाव देखने को मिले जिसके कारण अपराधों में कुछ प्रतिशत अंतर अवश्य देखने को मिलेगा।
- •घरों में लड़कियां / महिलाएं सुरक्षित नहीं रहीं लेकिन अब उनमें सजगता अवश्य देखने को मिलती है यौन उत्पीड़न संबंधी घटनाओं ने समाज में आपसी विश्वास की कमी अवश्य उत्पंन की है। जो किसी भी सभ्य समाज के लिए बहुत बड़ी हानि कही जा सकती है।
- •महिलाओं के साथ दुष्कर्म एवं अन्य अपराधों में बड़ी संख्या में युवाओं का शामिल होना पारिवारिक विघटन का तो कारण है ही साथ ही यह हमारी बदलती सामाजिक संरचना पर भी प्रश्नचिन्ह खड़ा करती है क्या परिवार के एकांकी जीवन शैली और आधुनिकीकारण इसके महत्त्वपूर्ण अंग है? जिसके कारण हमें आज संयुक्त परिवार की कमी खलती है।
- ★महिलाओं की अपनी आजादी, कपड़े पहनने की रूचि, कार्य करने की इच्छा, पुरुष मित्रों के साथ घूमने व समय बिताने को लेकर उक्त घटनाओं के बाद माता–पिता के मन में एक डर का भाव बना रहता है ये रीति–रिवाज एवं खुलापन हर समाज में अलग–अलग स्तर पर देखने को मिलते हैं। यह कारण भी युवाओं में कुंठा उत्पंन करता है। इस सामाजिक एवं आर्थिक

### असमानता के कारण भी समाज में महिलाओं के प्रति यौन उत्पीड़न के मामले बढ़ रहें है।

Golden Research Thoughts | Volume 4 | Issue 9 | March 2015

2.महात्मा गांधी, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, प्रकाशक— नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, अहमदाबाद, गुजरात, 1947 । 3.एमएन श्रीनिवास, आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन, प्रकाशक— राजकमल प्राइवेट लिमिटेड, दिल्ली, 1967 । 4.महात्मा गांधी के विचार, आर के प्रभु, यू आर राव, प्रकाशक— नेशनल बुक ट्रस्ट, इंडिया, नई दिल्ली । 5.मीनाक्षी सिंह, निशांत, आधुनिकता और महिला उत्पीड़न, प्रकाशक— ओमेगा पब्लिकेशंस, दिल्ली, 2008 । 6.नसिरा शर्मा, औरत के लिए औरत, प्रकाशक— सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली, 2007 । 7.प्रेम नारायण शर्मा, संजीव कुमार झा, महिला सशक्तीकरण एवं समग्र विकास, प्रकाशक— भारत बुक सेंटर, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, 2008 । 8.वीरेन्द्र प्रकाश शर्मा, भारतीय समाजिक मुद्दे और समस्याएं, प्रकाशक— पंचशील प्रकाशन, जयपुर, राजस्थान, 2004 । 9.सुधारानी श्रीवास्तव, महिला शोषण और मानवाधिकार, प्रकाशक— अर्जुन पब्लिशिंग हाऊस, नई दिल्ली, 2010 । 10.चेतन मेहता, महिला एवं कानून, प्रकाशक— आशीष पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2004 । 11.राजेन्द्र यादव, प्रभा खेतान, अभय कुमार दुबे, पितृसत्ता के नए रूपः स्त्री और भूमंडलीकरण, प्रकाशक— राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2003 । 12.कमा रत्तू मीडिया क्रांति और महिलायें, प्रकाशक— नेशनल पब्लिशिंग हाउस, जयपुर, राजस्थान, 2006 । 13.राजकुमार, नारी शोषण, समस्याएं एवं समाधान, प्रकाशक— अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2009 । 14.विनोबा, स्त्री शक्ति जागरण, प्रकाशक— परधाम प्रकाशन, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, 2009 ।

11

## सहायक संदर्भ सूचीः

मिलते है। अध्ययन महिला संबंधी समस्याओं के विषयों को बारीकी से प्रस्तुत करते हुए उनके समाधान प्रस्तुत करता है। खासकर निर्भया घटना के बाद महिलाएं किस प्रकार हिम्मत दिखाकर समाज और व्यवस्था के समक्ष अपनी समस्याओं को लेकर प्रस्तुत हो रही है। अध्ययन वर्तमान समाज में महिला जागरूकता एवं सामाजिक न्याय संबंधी विषयों को महत्त्वपूर्ण व उपयोगी साबित करता है। शोध के तथ्य दर्शाते हैं कि आज समाज में महिला जागरूकता जैसे विषय केवल उत्सव और आयोजनों तक सीमित न रहे बल्कि ऐसे विचारों को आज जीवन में उतारने की आवश्यकता है। अध्ययन में ऐसे विभिन्न मत देखने को मिलते हैं जिससे वर्तमान समाज में महिलाओं को सशक्त बनाने की आवश्यकता पर बल देते नजर आते हैं। भविष्य में महिला जागरूकता एवं सामाजिक न्याय संबंधी विषयों को और बेहतर समझने के प्रयास किए जाने चाहिए। आज समाज में जिस तेजी से महिलाओं के प्रति हिंसात्मक

गतिविधियां बढ़ रही है उससे भी भविष्य में जागरूकता एवं सामाजिक न्याय को सशक्त सिद्धांतों की आवश्यकता होगी।

1.महात्मा गांधी, सत्य के प्रयोग, प्रकाशक— नवजीवन पब्लिशिंग हाउस, अहमदाबाद, गुजरात, 1947 ।

प्रस्तुत अध्ययन 'महिला जागरूकता एवं सामाजिक न्याय' विषय के माध्यम से वर्तमान समय में महिला जागरूकता जैसे विषय को समाज के सामने लाने का एक प्रयास मात्र है। अध्ययन के माध्यम से यह विस्तारित करने का प्रयास किया गया है कि महिला जागरूकता आज समाज के लिए क्यों आवश्यक है? क्यों एक जागरूक समाज के लिए महिला सशाक्तिकरण की आवश्यकता पड़ती है? महिला सम्मान, महिला अधिकार एवं महिला सुरक्षा क्यों आवश्यक है? अध्ययन में ऐसे कई सवालों के जबाब मिलते है। अध्ययन महिला संबंधी समस्याओं के विषयों को बारीकी से प्रस्तुत करते हुए उनके समाधान प्रस्तुत करता है। खासकर निर्भया घटना के बाद महिलाएं किस प्रकार हिम्मत दिखाकर समाज और व्यवस्था के समक्ष अपनी समस्याओं को लेकर प्रस्तुत हो रही है।

### शोध की उपयोगिता एवं भविष्य में शोधः

समाज का निर्माण हो सकता है।

∻एकांकी जीवन शैली युवाओं को प्रभावित करती है इस हेतु संयुक्त परिवार की व्यवस्था बेहतर समाज का निर्माण करती है। ∻समाज के बेहतर निर्माण के लिए आवश्यक है कि संचार माध्यम अपनी निष्पक्ष और दायित्त्वपूर्ण भूमिका निभाए तभी एक बेहतर

है इस प्रकार की सामाजिक संरचना को भी बदलने की तत्काल आवश्यकता है।

पारिवारिक जिम्मेदारियों का गंभीरता से पालन करना होगा जिससे बच्चों को बेहतर संस्कार एवं नैतिक शिक्षा मिल सके। • सामाजिक एवं आर्थिक असमानता, रीति–रिवाज एवं अत्याधिक खुलापन हर समाज में अलग–अलग स्तर पर देखने को मिलता

लिए भी जागरूक करने का प्रयास करें। •सामाजिक ताने–बाने एवं वर्तमान शिक्षण व्यवस्था में भी सुधार की आवश्यकता है। सरकार के साथ–साथ माता–पिता को

न्याय के लिए सालों तक इंतजार न करना पड़े। \*सरकार को चाहिए कि ऐसे गैर–सरकारी संस्थाएं जो दुष्कर्म पीड़ितों के उत्थानार्थ जमीनी स्तर पर सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, उनके सुझावों एवं सिफारिशों पर पूरी गंभीरता से ध्यान दे। इसके साथ–साथ समाज के हर वर्ग को ऐसी बुराइयों से लड़ने के

∻पुलिस विभाग को नए स्थापित कानूनों के प्रति और ज्यादा सजग एवं सशक्त बनाने की पहल करना चाहिए। ∻न्यायिक स्तर पर फास्ट ट्रेक कोर्ट स्थापित किए जाने चाहिए और स्थापित कोर्टों की संख्या बढ़ानी चाहिए जिससे पीड़िता को

ाकसा मा स्तर पर हा रह लागक दुव्यवहार, दुष्कम एव शासारक शायण जस अपराध क विरुद्ध संख्त कानून वतमान समय मांग है। • प्रतिप किप्पप को उप अपरित करन में के पति और जपना पतं उपाक्त तराने की पतन करना चानिए।

प्रस्तुत अध्ययन में प्राप्त आंकड़ों के आधार पर निम्नलिखित आवश्यक सुझाव दिए जा सकते हैं— • किसी भी स्तर पर हो रहे लैंगिक दुर्व्यवहार, दुष्कर्म एवं शारीरिक शोषण जैसे अपराधों के विरुद्ध सख्त कानून वर्तमान समय की

### अध्ययन सुझावः

महिला जागरूकता एवं सामाजिक न्याय (निर्भया घटनाः 16 दिसंबर, 2012 के विशेष संदर्भ में)

15.मृदुला सिन्हा, मात्र देह नहीं है औरत, प्रकाशक– सामयिक प्रकाशन, नई दिल्ली 2007 ।

16.आनंद प्रकाश सिंह, वैशाली प्रसाद, सामाजिक समस्याएं और अपराध, प्रकाशक– यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन, नई दिल्ली, 2007। 17.अली, सुभाषिनी, ख़बर लहरिया, सुभाषिनी अली का स्त्री विमर्श, प्रकाशक– अनामिका प्रकाशन, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, 2005। 18.अंजली, भारत में महिला अपराध, प्रकाशक– राधा पब्लिकेशंस, नई दिल्ली, 2005। 19.रेखा कस्तवार, स्त्री चिन्तन की चूनौतियां, प्रकाशक– राजकमल प्रकाशन प्रा. लि., नई दिल्ली, 2006। 20.जॉन स्ट्अर्ट मिल, स्त्रियों की पराँधीनता, प्रकाशक– राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 2002। 21.जॉन स्टुअर्ट मिल, स्त्री और पराधीनता, प्रवृति, शक्ति और भूमिका से जुड़ें प्रश्न, प्रकाशक– संवाद प्रकाशन, मेरठ, उत्तर प्रदेश, 2002 | 22.वृंदा कारात, जीना है तो लड़ना होगा, प्रकाशक– सामायिक प्रकाशन, नई दिल्ली, 2006। 23.वृंदा करात, भारतीय नारीः संघर्ष और मुक्ति, प्रकाशक— ग्रंथ शिल्पी, दिल्ली, 2008। 24.मेरी वोल्सटन क्रॉफ्ट, अनुवाद मीनाक्षी, स्त्री अधिकारों का औचित्य–साधन, प्रकाशक– राजकमल विश्व क्लासिक, नई दिल्ली, 2009 | 25.चन्द्र सिंह चेतन, क्या अपराध है औरत होना?, प्रकाशक– ग्रंथ विकास, जयपुर, राजस्थान, 2009। 26.लक्ष्मेन्द्र चोपडा, मीडिया और समाज, प्रकाशक– आधार प्रकाशन, पंचकुला, चंडीगढ, हरियाणा, 2007। 27.ममता चंद्रशेखर, मानवाधिकार और महिलाएं, प्रकाशक– मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, भोपाल, मध्य प्रदेश, 2005 | 28.अरविंद जैन, औरत होने की सज़ा, प्रकाशक– राजकमल पेपर बैक्स, नई दिल्ली, 2006। 29.राधा दुभार, स्त्री संघर्ष का इतिहासः 1800–1990, प्रकाशक– वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2002। 30.रेणुका नैयर, औरत की पीड़ा, प्रकाशक– अभिषेक पब्लिकेशन, चंडीगढ़, हरियाणा 2005।

### पत्रिका सूचीः

1.संस्कृति (पत्रिका) अंक—12, अर्द्ववार्षिक —2006, प्रकाशन— संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली । 2.आजकल (साहित्य और संस्कृति का मासिक), प्रकाशनक— प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली । 3.भारतीय वाड्मय (हिंदी तथा अहिंदी भाषी क्षेत्रों के साहित्यिक—सांस्कृतिक समाचारों की मासिक पत्रिका), प्रकाशक— विश्वविद्यालय प्रकाशन, वाराणसी । 4.योजना, अंक— नवंबर, 2005, प्रकाशन विभाग, नई दिल्ली । 5.मीडिया नगर 02 (उभरता मंजर) प्रकाशक— वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली, 2005 ।

### रिपोर्ट सूचीः

1.पीसी जोशी, कमेटी रिपोर्ट—1986, एन इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ इंडियन टेलीविजन । 2.सीन मैक ब्राइड, रिपोर्ट—1980, मैनी वाइसेज वन वर्ल्ड, यूनेस्को ।

### बेवसाइट सूचीः

1-www. indiantelevesion.com
 2-www. exchange4media.com
 3-www. tv4india.com
 4-www. mediaresearch.com
 5-http://shodhganga.inflibnet.ac.in
 6-www. deloi4te.com/in (Report, September 2011, 12, 13, 14.)
 7-FICCI-KPMG Indian Media and Entertainment Industry Report, 2012, 2013, 2014.

### अन्य संदर्भः

1.संजीव श्रीवास्तव, सिनेमा के एक सौ दस वर्षों का सफर (लेख), आज कल (साहित्य और संस्कृति की मासिक पत्रिका), जुलाई 2006, प्रकाशक– प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली।

12

# Publish Research Article International Level Multidisciplinary Research Journal For All Subjects

Dear Sir/Mam,

We invite unpublished Research Paper,Summary of Research Project,Theses,Books and Book Review for publication,you will be pleased to know that our journals are

# Associated and Indexed, India

- International Scientific Journal Consortium
- \* OPENJ-GATE

# Associated and Indexed, USA

- EBSCO
- Index Copernicus
- Publication Index
- Academic Journal Database
- Contemporary Research Index
- Academic Paper Databse
- Digital Journals Database
- Current Index to Scholarly Journals
- Elite Scientific Journal Archive
- Directory Of Academic Resources
- Scholar Journal Index
- Recent Science Index
- Scientific Resources Database
- Directory Of Research Journal Indexing

**Golden Research Thoughts** 

258/34 Raviwar Peth Solapur-413005,Maharashtra Contact-9595359435 E-Mail-ayisrj@yahoo.in/ayisrj2011@gmail.com Website : www.aygrt.isrj.org